न्यायालय श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
मु0माल स0 162/2000

1–चुनीराम पुत्र घूडाराम जाति नायक निवासी 2 डी बडी

2–बन्शीलाल पुत्र घूडाराम जाति नायक निवासी 2 डी बडी

3–राजकुमार पुत्र देवाराम जाति नायक साकिन 2 डी बडी

4–मनीराम पुत्र देवाराम जाति नायक साकिन 2 डी बडी –प्रार्थीयान

बनाम

1–सोहनलाल पुत्र बिरमाराम पिता उदाराम निवासी कमरानिया तहसील अनूपगढ

2–दुलादेवी पत्नी हीरा नायक निवासी 2 डी बडी तहसील श्रीगंगानगर

3–भवरी पुत्री हीरा नायक निवासी राणुका तहसील श्रीगंगानगर

4–सरोजबाई पुत्री हीराराम नायक निवासी करनपुर

5–सुन्दरावाई पुत्री हीराराम नायक निवासी तख्तहजारा ते0 सादूलशहर

6–धापूबाई पुत्री हीराराम नायक निवासी करनपुर

7–हेमराज उर्फ हेमाराम पुत्र हीराराम नायक निवासी 2 डी बडी तहसील श्रीगंगानगर

8–मनफूलराम पुत्र हीराराम ,, ,, ,,

9–जमनादेवी पत्नी लक्ष्मणराम नायक ,, ,,

10–बिमलादेवी पुत्री लक्ष्मणराम नायक नि0 लूहारा ते0 रायसिहनगर

11–विनोदकुमार पि0 लक्ष्मणराम नायक निवासीयान 2 डी बडी तहसील व जिला

12–प्रमोदकुमार श्रीगंगानगर

13–प्रदीपकुमार

14–चिमनलाल पुत्र कालूराम नायक निवासी ,, ,,

15–उतमाराम पुत्र रमू पति राजावाई ,, ,,

16–आशावाई पुत्री राजावाई नायक ,, ,,

17–केसरराम पत्नु राजावाई ,, ,, ,, ,,

18–तुलछाराम पुत्र राजावाई ,, ,, ,, ,,

19–प्यारालाल पुत्र राजावाई ,, ,, ,, ,,

20–लालचन्द पुत्र राजावाई ,, ,, ,, ,,

(5)

24–स्टेट आफ राजस्थान जरिऐ तहसीलदार गंगानगर/उप पंजीयक हिन्दुमलकोट

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि01955</u>

उपस्थितिः–श्री ओमप्रकाश एडवोकेट–प्रार्थीयान

श्री राजकुमार नागपाल एडवोकेट-- अप्रार्थीगण

:–आदेश–: दिनांकः–30 नवम्बर ,2012

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार से है। प्रार्थी ने
से दिनांक 28–5–2012 को वादपत्र के साथ में 212आरटीए का प्रार्थनापत्र प्र
निवेदन किया हैं कि चक 2 डी के खाता स0 12/11 मु0न056 के 6.074 है
घूडाराम व कालूराम के पिता प्रेमा को आवंटन हुआ था। जिसका देहान्त के
पश्चात उकत रकबा दोनों के नाम दर्ज हुआ। धूडाराम के हिस्सा कब्जा किश्ते
कि0न012–13'14,16 का 10विस्वा,17ता25 कुल 12–10 बीधा भूमि आई ज चला
उनके द्वारा जमा करवाई गई तथा वह अपने जीवनकाल तक मय परिवा के नाम से
आया वा उसके बाद वारिसान काबिज हुऐ। सनद गलत जारी होने प्रतिवादी को
जो रकबा 1.619 हैक्टयर आया व उसने वादीगण व प्रतिवादीी 26ता घूडाराम के नाम
विक्रय कर दिया इन्तकाल स0 496 दिनांक 21–2–12 को हो चुक्दार हुए तथा शेष
दर्ज 0.404 हैक्टयर के वादीगण व प्रतिवादी स0 26ता 39 कान्दर्ज हैं पर प्रतिकूल
रकबा 1.139 हैक्टयर रकबा जो कि प्रतिवादी स01ता 24 के चक 2 डी बडी के
कब्जा के आधार पर हकदार हो चुके है ।मूल वाद के क्टयर में मदखलन करने
मु0न056 के खाता स0 12/11 की 6.074 हैक्टयर में से सुनने हुए प्राथमिक द्वष्टि से
के बाज व ममनू रहे। प्रार्थीयान वकील की एक तरफा में आगामी पेशी तक रिकार्ड
सन्तुष्ट होकर चक 2 डी की 6.074 हैक्टयर भूमि के ा प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर
एंव मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु अस्थाई दीगण की ओर से श्री राजकुमार
अप्रार्थीयान को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। ओर से जबाब प्रस्तुत कर निवेदन
नागपाल एडवोकेट उपस्थित आये। अप्रार्थीयान क ही वंश के होने तथा घूडाराम पु.
किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण स0 26ता में अस्वीकार है। धूडाराम के हिस्से के
प्रेमाराम के वारिसान होने के तथ्य ज्ञान के कि0न0 16 के 0.10 तथा कि0न0 17ता25
कब्जा में मु0न0 56 के कि0न0 12,13,14 जमा करवाई तथा अपने जीवनकाल तक मय
के 12–10 बीधा रकबा आया जिसकी कि भग से दिनांक 14–9–1988 को इस रकबे की
परिवार काबिज चला आ रहा हैं पुर्नवास के नाम से जारी थी। सोनूराम के फोत होने के
सनद कालूराम–खेमी–सोनूराम वा 14–9–88 को जारी सनद में दिनांक 14–3–1989
कारण पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनां या जिसमें काजूराम स्वंय 4/15हिस्सा,खेमी बहिन
को संशोधन आदेश जारी किया 15हिस्सा,मंगली औरत 1/5हिस्सा,बिरमा पुत्री कालूराम
4/15,घूडाराम पुत्र पेमाराम 1 इसी आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया।
1/5हिस्सा जारी किया गया मात्र सोनू अलौअी के फोत होने के कारण उसका वारिस
घूडाराम का इस भूमि में केवल हिस्सा मिला। इस प्रकार इस भूमि में धूडाराम का कभी आधा हिस
होने के कारण 1/15 हिस्सा व धूडाराम के बीच कोई हल्फनामा लिखा गया तथा ना ही
रहा और ना ही कालूराम रहा ओर ना ही कभी आधी किश्ते
घूडाराम के वारिसान का 12–10 बीधा भूमि पर कब्जा रहा ओर ना ही कभी आधी किश्ते
जमा करवाई गई है। अतः 212 आरटीए का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

दिनांक 23–11–2012 को उभय पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी
गई। वकील प्रार्थी की बहस लिखित प्रार्थनापत्र के आधार पर थी।उन्होंने मुख्यरूप से तर्क
... आपके न्यायालय में अपील दायर की गई थी जो

जिसका निर्णय होने के उपरान्त अपील में सभ्भागीय आयुक्त महोदय के गये हैं अपील में कार्यवाही स्थगित की गई है। यह वादपत्र के साथ 212 आरटीए का प्रार्थनापत्र हैं जो अलग प्रकरण है। प्रार्थीयान के द्वारा एक तरफा अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाई हुई हैं जिसको खारिज किया जावे। जमाबन्दी में अप्रार्थीगण का नाम हैं खातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेघाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण जिस पारिवारिक समझोता का जिक्र कर रहे हैं वह समझोता नहीं हुआ और ना ही रजिस्टर्ड दस्तावेजात है। प्रार्थीगण का प्रथम द्वष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं ना ही सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है। इस सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीयान के द्वारा आरआरडी पेज 775,आरआरडी 2007 पेज 557,आरआरडी 2001 पेज 813,आरआरडी 2006 पेज 891,आरआरडी 2012 पेज 95,आरआरटी 2003 पेज 18 की नजीरों की और ध्यान दिलाते हुऐ तर्क दिया कि दिनांक 4–6–2012 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा निरस्त की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव प्रस्तुत जमाबन्दी का अध्ययन किया। दोनों पक्षों की और से समायत बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी के द्वारा सभ्भागीय आयुक्त महोदय के स्थगन आदेश के बारे में बताया हैं वह इन्तकाल की अपील की गई थी,में जारी किया गया है। इन्तकाल की अपील व वादपत्र दोनों अलग अलग पेश किये गये है। स्थगन आदेश तो अपील में किये गये निर्णय में लागू होता है। यह प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ में प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी में प्रतिवादीगण का नाम खातेदार के रुप में दर्ज है। खातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेघाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। मूल वाद में किस व्यक्ति का कितना हक व हिस्सा हैं व साक्ष्य/सबूतो के आधार पर तैय किया जायेगा। प्रार्थीयान का प्रथम द्वष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं ओर ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीयान के पक्ष में है। अतः दिनांक 4–6–2012 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ शामिल की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 30–11–2012को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर